

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th July, 2022

**No. 18/2022-Central Excise**

**G.S.R. 584(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the excisable goods of the description specified in column (3) of the Table below, and falling within the Chapter or heading or sub-heading or tariff item of the Fourth Schedule to the said Central Excise Act as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the Special Additional Excise Duty leviable thereon under section 147 read with the Eighth Schedule to the said Finance Act, 2002, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table:

**TABLE**

S. No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2709	Petroleum crude	Rs. 17,000 per tonne
2.	2710	Aviation Turbine Fuel	Rs. 4 per Litre

2. This notification shall come into force on the 20<sup>th</sup> day of July, 2022.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2022

**सं. 19/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क**

**सा.का.नि. 585(अ).**— केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 और वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात का समाधान होने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में जो विनिर्दिष्ट है और जो कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उप शीर्ष या टैरिफ मद के भीतर आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल को, उक्त वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 147 के तहत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और उक्त वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 112 के तहत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देती जो विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित इकाइयों से निर्यात किए गए हैं:-

**सारणी**

क्र.सं.	अध्याय या शीर्ष या उप शीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2710	मोटर स्प्रीट, सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है
2.	2710	हाई स्पीड डीज़ल ऑयल
3.	2710	एविएशन टूबाईन फ्यूल